



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
 (A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)
NAAC Accreditation- "A" Grade

प्रो. अवधेश कुमार

Prof. Avadhesh Kumar

कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फैक्स / Fax: +91-7152-2309

क्र.: 005/2012/क्षे.के.इ./2018/01 (3)/1176

दिनांक : 27. 12. 2018

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम, 2018 के आलोक में **इलाहाबाद क्षेत्रीय केंद्र हेतु विभागीय शैक्षिक सत्यनिष्ठा नामसूची (डीएआईपी)/ Departmental Academic Integrity Panel (DAIP)** का गठन निम्नानुसार किया जाता है -

क.	विभागाध्यक्ष/केंद्र प्रभारी	अध्यक्ष
ख.	कुलपति द्वारा नामित विभाग से इतर एक वरिष्ठ शिक्षाविद	प्रो. महेश चन्द्र चट्टोपाध्याय, इलाहाबाद
ग.	विभागाध्यक्ष/केंद्र प्रभारी द्वारा नामित साहित्यिक चोरी के साधनों से भली-भांति परिचित एक व्यक्ति।	डॉ. मृदुला पंडित, अध्यक्ष, राजकीय पुस्तकालय उन्नाव एवं पूर्व कार्यकारी पुस्तकालय प्रकोष्ठ, उ. प्रदेश

बिंदु 'ख' तथा 'ग' के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष के लिए होगा। बैठक के लिए सदस्यों की गणपूर्ति 3 में से 2 सदस्यों द्वारा होगी (अध्यक्ष सहित)।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की जाती है।

(अवधेश कुमार)
 27/12/18

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

1. कुलपति कार्यालय।
2. प्रतिकुलपति कार्यालय।
3. कुलसचिव कार्यालय।
4. प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र इलाहाबाद को संबंधित को सूचित करने के अनुरोध के साथ।
5. परीक्षा विभाग।
6. प्रभारी, अकादमिक विभाग।
7. पुस्तकालयाध्यक्ष।
8. सहायक कुलसचिव (अकादमिक)।
9. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
10. कार्यालय प्रति।